न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 115/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भानाराम पुत्र हणुताराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम बिदासनी तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– भागुराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई 2– हरलाल पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम रूडकली तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी जो राजस्व अपील संख्या 10/2013 अनवान भागुराम बनाम भानाराम मे दिनांक 7–6–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1–श्री जयदेवसिह चारण अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिदासनी के खेत खसरा नंबर 77 व 10 कुल 2 खसरान की 93.04 भूमि का खातेदार खेराजराज पुत्र बन्नाराम था । उक्त खातेदार खेराजराम के तीन पुत्र कमशः हणुताराम, चौखाराम एवं मीराराम थे तथा खेराजराम के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 13 हनुताराम के पुत्र भानाराम के नाम ही स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 13 के विरूद्ध चोखाराम के दो पुत्रो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णयदिनांक 7–6–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को मृतक खेराजराम के के विधिक उतराधिकारियो की जांच कर हितबद्ध पक्षकारो को सुनकर नये सिरे से नामांतरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत स्वीकृत करने हेतु रिमाण्ड किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 बावजुद तामिल उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की ओर से इस अपील मे दिनांक 27–1–2021 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा रेकर्ड पर लेकर राजीनामा लिखत अनुसार अपील का निस्तारण करने बाबत पेश किया जिस पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अंगुठा निशान किये हुए है । अपीलांट के अंगुठा निशान की पहचान उनके अधिवक्ता ने की, उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आज निर्धारित तारीख पेशी पर अपीलांट अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय का ध्यान दिनांक 27–1–2021 को प्रस्तुत राजीनामे की ओर दिलाया तथा न्यायालय के निर्देश पर प्रकरण के गुणावगुण पर अपनी बहस की । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पत्रावली को केम्प मे ले जाकर पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस या सूचना नही दी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी मौखिक बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 से संबंधित रेकर्ड तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाना आवश्यक था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष. अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 ग्राम बिदासनी जिसे ग्राम पंचायत खेजडलीकलां द्वारा दिनांक 6–12–74 को स्वीकृत किया था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे करीब 38 वर्ष 6 माह के विलंब से अपील पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी असाधारण विलंब से प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय मे मयाद सें संबंधित कोई निर्णय या निष्कर्ष दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 भागुराम वगैरा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 की कार्यवाही मे पक्षकार नही थे इसलिए रेस्पो0 भागुराम का अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय से. अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये थी परंतु ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किये हुए होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपील प्रस्तुत करते वक्त 43 वर्षो से अपीलाट भानाराम का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा 43 वर्ष पूर्व से ही अपीलांट भानाराम का उक्त भूमि पर मकान निर्मित किया हुआ था जहां अपीलांट अपने परिवार सहित उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे थे जबकि रेस्पो0 भागुराम का कभी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 भुगराम वगैरा द्वारा अपीलाधीन भूमि का कब्जा लेने की मयाद भी समाप्त

सति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हो चुकी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध तरीके से पारित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 जो वर्ष 1974 मे स्वीकृत किया था उसे खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया तथा ग्राम बिदासनी का नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 6–12–74 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत राजीनामे के संबंध मे भी यह कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ सभी न्यायालयो मे लोक अदालत की भावना से राजीनामे के प्रकरणो का निस्तारण किया जाने का प्रावधान है तथा वर्तमान मामले मे भी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के रूह मे उक्त अपील का निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी उपरोक्त बहस के समर्थन मे निर्णय नजीरे आर.आर. टी. 2013 (1)पेज 424, आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 383सु.को., आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 एससी, आर.आर.डी. 2002 पेज 414 पैरा (8), आर.आर.डी. 2014 पेज 732, आर.आर.डी. 2010 पेज 38 पैरा 21 व 23, आर.आर.डी. 2013 पेज 32 पैरा 18 एवं आर.आर.डी. 1979 पेज 9 राज.हा.को. (डीबी) के उद्धरण एवं नजीरे पेश की ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलाधीन आदेश एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 13 एवं इन सभी के निरंतर मे इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारो द्वारा दिनांक 27–1–2021 को प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र. आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया एवं अपीलांट अधिवक्ता की बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी गहनता से अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा नियमित कोर्ट मे चल रही पत्रावली को कोर्ट केम्प मे रखते हुए एकतरफा आदेश पारित करते हुए उनके समक्ष लगभग 39 वर्ष पूर्व के स्वीकृत म्युटेशन संख्या 13 के मयाद के बिन्दु पर विवेचन दिये बिना ही उक्त म्युटेशन को निरस्त करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

इसके अलावा इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पो0 के बीच हुए लिखित समझोते का जो दस्तावेज दिनांक 27–1–2021 को इस न्यायालय मे पेश किया गया है तथा पक्षकारान उक्त राजीनामे के प्रार्थना पत्र मे लिखत अनुसार निर्णय पारित करवाना चाहते है ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2017 विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी को पक्षकारान

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा इस न्यायालय हाजा में दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत राजीनामे का मूल प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि वे उक्त राजीनामे प्रार्थना पत्र को नियमानुसार पोषणीय होने पर तस्दीक करते हुए विधिसम्मत् राजीनामे की रूह में नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर